न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 105/2022

सुरेश पुत्र श्री देवकरण, जाति मेघवाल, निवासी मुकन्दपुरा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।
—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू ।

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय 27.10.2022, मु. नं. 170/2022
न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी, उनवानी सरकार बनाम सुरेश
अं0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1 .श्री सुमेर सिंह सैनी, एडवोकेट ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 28.06.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.10.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुरेश मु0नं0 170/2022 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि — पटवारी हल्का ठाठवाड़ी ने राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 248 रकबा 16.41 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ के रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर गैरसायल सुरेश पुत्र देवकरण ने राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को धारा 91 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। अपीलांट की ओर से जवाब नोटिस के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.10.2022 को एक तरफा सुनवाई की जाकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

आदेश परित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये और अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये और अपीलांट की बिना साक्ष्य, सबूत लिये ही, जवाब के अवलोकन किये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिनांक 27.10.2022 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम मुकुन्दपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 248 रकबा 16.41 हैक्टर गै.मु. जोहड़ में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा आवासीय मकान बनाकर जो कब्जा बताया गया है, वह गलत बताया गया है। उक्त भूमि पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्ष पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर अपीलांट अपने परिवार सहित आबाद है जो गांव की आबादी के बीच में है। हल्का पटवारी द्वारा द्वैषता पूर्वक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके आधार पर अदालत मातहत ने उक्त आदेश पारित किया है। उक्त भूमि की सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भौतिक स्थिति बदल गई थी और वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई जोहड़ आदि नहीं है। उक्त भूमि का अपीलांट के पूर्वजों को ही भूमि आवंटन अधिकारी (तहसीलदार खेतड़ी) द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख, अनुसूचित जाति व जन जाति/श्रमिक तथा करीगरों की आबादी भूमि में से निःशुल्क आवीय भूखण्ड का आवंटन सन 1975 में किया गया था जिस पर अपीलांट व उसका परिवार पुख्ता निर्माण कर अपने परिवार सहित आबाद है। अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, सरकार द्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि पर ही मकान बनाकर आबाद है। अपीलांट अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है, काफी खर्चा करके मकानों का निर्माण किया है, अपीलांट व उसके परिवार को बेदखल किया जाता है तो अपीलांट व उसका परिवार बर्बाद हो जायेगा आदि। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, खेतड़ी के आदेश दिनांक 27.10.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि— उक्त भूमि पर अपीलांट का पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्ष पूर्व से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर पुख्ता मकानात बनाकर अपीलांट अपने परिवार सहित आबाद है जो गांव की आबादी के बीच में है। हल्का पटवारी द्वारा द्वैषता पूर्वक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर अदालत मातहत ने उक्त आदेश पारित किया है। उक्त भूमि की सैकड़ों वर्ष पूर्व ही भौतिक स्थिति बदल गई थी और वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई जोहड़ आदि नहीं है। उक्त भूमि का अपीलांट के पूर्वजों को ही भूमि आवंटन अधिकारी (तहसीलदार खेतड़ी) द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख, अनुसूचित जाति व जन जाति/श्रमिक तथा करीगरों की आबादी भूमि में से निःशुल्क आवीय भूखण्ड का आवंटन सन 1975 में किया गया था जिस पर अपीलांट व उसका परिवार सरकार द्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि पर ही पुख्ता मकान निर्माण कर अपने परिवार सहित आबाद है। अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलांट अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है, काफी खर्चा करके मकानों का निर्माण किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, खेतड़ी के आदेश/निर्णय दिनांक 27.10.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा बताया गया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि अपीलांट को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अपीलांट का आवंटन अधिकारी तहसीलदार खेतड़ी द्वारा जारी पट्टे के आधार पर उक्त भूमि पर सैकड़ों वर्षों से आबाद होने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार खेतड़ी आवंटन अधिकारी का ना तो कोई इस तरह का पट्टा प्रस्तुत हुआ है और ना ही अपीलांट के पुराने कब्जे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य बिजली–पानी के बिल या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत हुये है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत आवंटन अधिकारी के पट्टे के संबंध में एक फोटो कॉपी प्रस्तुत की गई है जो अपठनीय है तथा सत्यापित प्रति नहीं होने से साक्ष्य में कोई अहमियत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि की किस्त गै.मु. जोहड़ दर्ज है जो राज्य सरकर द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की होने से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2022 उनवानी सरकार बनाम सुरेश मु0नं0 170/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested